राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाईन ब्रिडिंग योजनान्तर्गत बांझपन निवारण शिविरों के आयोजन हेतु मार्गदर्शिका

भारत सरकार की नवीन परियोजना नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाईन ब्रिडिंग अन्तर्गत **"पशु बांझपन निवारण शिविरों"** का आयोजन किया जाना है।

बांझपन निवारण शिविरों के आयोजन का उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध पशुधन में से अस्थाई रूप से बांझ पशुधन का समय पर उपचार कर प्रजनन योग्य बनाकर कृत्रिम गर्भाधान द्वारा अथवा उच्च गुणवत्ता के साण्डो से गर्भित कराते हुए उच्च गुणवत्ता की सन्तति उपलब्ध करवाये जाने के साथ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। साथ ही शिविरों के माध्यम से पशुपालको को अपने पशुओं को बांझ होने से बचाने के उपायों की जानकारी उपलब्ध करवाना तथा बांझपन से ग्रसित पशुओं का चिन्हीकरण कर समय पर पूर्ण इलाज करवाने के लिये प्रेरित करना है।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाईन ब्रिडिंग अन्तर्गत राज्य के समस्त जिलो में बांझपन निवारण शिविर आयोजित किये जाने है।

बांझपन निवारण शिविरों के आयोजन हेतु मार्गदर्शिकाः–

1. भारत सरकार की नवीन परियोजना नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाईन ब्रिडिंग अन्तर्गत बांझपन निवारण शिविरों का आयोजन राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा आवंटित लक्ष्य अनुसार प्रदेश के समस्त जिलों में पशुधन की संख्या के आधार पर 4 से 5 गाँवो के एक कॉम्पेक्ट क्षेत्र का अथवा पंजीकृत गौशालाओं का चयन कर किया जावेगा।
2. शिविर आयोजन से पूर्व चयनित गावों में सर्वे कर बांझ पशुओं के पशुपालको की सूची तैयार की जावेगी एवं व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए शिविर का आयोजन किया जावेगा जिसमें सूची अनुसार पशुपालको के चिन्हित बांझ पशुओं का उपचार करते हुए पशुपालको को पशुओं को बांझ होने से बचाने के उपायों की जानकारी देते हुए बांझपन से ग्रसित पशुओं का चिन्हीकरण कर समय पर पूर्ण इलाज करवाने के लिये प्रेरित किया जावेगा।
3. प्रत्येक शिविर की अवधि 5 दिवस की होगी एवं प्रत्येक शिविर में कम से कम 50 पशुओं (गौवंश / भैंसवंश) का बांझपन उपचार किया जाना आवश्यक होगा।

4. शिविर में प्रथम एवं द्वितीय दिन बांझ पशुओं की Rectal Palpation कर ovary में बनने वाली ल्यूटियल अथवा फॉलीक्यूलर संरचनाओं का रिकार्ड संधारण करते हुए सामान्य बांझपन चिकित्सा की जावेगी (डीवर्मिंग, मिनरल मिक्सचर, विटामिन–ए, डी–3, ई तथा सोडियम एसिड फास्फेट आदि)।

5. पशुओं की सामान्य बांझपन चिकित्सा के साथ साथ शिविर आयोजन की अवधि में पशुपालको की गोष्ठी आयोजित कर कम से कम 100 पशुपालको (50 प्रतिशत महिलायें) को पशुओं को बांझ होने से बचाने के उपायों की जानकारी दी जावे।

6. प्रारंभिक दो दिवसीय शिविर के पश्चात प्रत्येक 7 दिवस के अंतराल पर 1–1 दिवस के तीन फॉलोअप शिविरों का आयोजन किया जावेगा जिसमें उपचारित पशुओं की पुनः Rectal Palpation की जावेगी तथा ovary में बनने वाली ल्यूटियल अथवा फॉलीक्यूलर संरचनाओं की वर्तमान स्थिति का पूर्व की स्थिति से आंकलन किया जावेगा। आंकलन पश्चात जो पशु ताव में नही आये है उनमें सामान्य बांझपन चिकित्सा के साथ हार्मोन चिकित्सा के प्रोटोकॉल एवं हार्मोन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हार्मोन्स का उपयोग किया जा सकेगा।

7. शिविरों के आयोजन हेतु आवश्यक औषधियों का उपयोग पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत उपलब्ध औषधियों में से किया जावेगा। शिविरों के आयोजन हेतु यदि ऐसी औषधियों की आवश्यकता है जो विभागीय अनुमोदित सूची में अनुमोदित नही है तो ऐसी औषधियों का क्रय पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत इमरजेन्सी औषधियों हेतु उपलब्ध प्रावधान में से किया जावेगा।

8. उपचार से जो पशु ताव में आये है उनमें गर्भाधान सुनिश्चित किया जावेगा। गर्भाधान के 60 से 90 दिन के उपरान्त गर्भ परीक्षण किया जावेगा।

9. उपचारित पशुओं का नियमित फॉलोअप संबंधित पशु चिकित्सा संस्था द्वारा किया जावेगा जिससे बांझपन मुक्ति के परिणाम ज्ञात हो सकेगें।

10. पंजिकृत गौशालाओं में आयोजित होने वाले शिविरों में गौशाला के बांझ पशुओं के अतिरिक्त आस पास के पशुपालको द्वारा उनके बांझपन से ग्रसित गाय एवं भैस को शिविर स्थल पर लाने की स्थिति में पशुओं की भी बांझपन चिकित्सा की जा सकेगी।

11. पंजिकृत गौशालाओं में जिन गौ पशुओं के बांझपन का उपचार किया जावेगा उनकी टैगिंग अनिवार्य रूप से की जावेगी ताकि फॉलोअप शिविर में गौशाला के अन्य पशुओं के मध्य आसानी से पहचाना जा सके।

12. बांझपन निवारण शिविरों में निम्नानुसार राशि के व्यय का प्रावधान होगाः—

क्र. सं.	कार्य	राशि रूपयों में
1	शिविर आयोजन हेतु किराये के वाहन की व्यवस्था/मजदूरी/सफाई व्यवस्था/स्लीव्ज एवं शीथ/सीरींज/ निडल/टैग क्रय आदि।	2500/—
2	प्रचार प्रसार हेतु (पम्पलेट/पोस्टर आदि प्रिन्ट व वितरण)	500/—
3	टेन्ट, माईक एवं फोटोग्राफी व्यवस्था	1000/—
4	मानदेय (विशेषज्ञ सेवाओं हेतु) न्यूनतम एक विशेषज्ञ प्रतिदिन हेतु (प्रति विशेषज्ञ 200 रूपये प्रतिदिन) कुल 5 दिवस x 1 x 200 (मानदेय दिये गये विशेषज्ञों को दैनिक भत्ता देय नही होगा)	1000/—
कुल योग		**5000/—**

13. बांझपन निवारण शिविरों के आयोजन के उपरान्त संबंधित जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा संलग्न प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ शिविरों के आयोजन हेतु जारी की गयी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं शेष राशि यदि कोई हो को बोर्ड कार्यालय को अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्न :— प्रगति प्रतिवेदन का प्रारूप

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्यालय का नामः–.....

राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाईन ब्रिडिंग योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में आयोजित किये गये बाझंपन निवारण शिविरों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि
1	आयोजित शिविरों की संख्या		
2	बाझंपन उपचारित पशुओं की संख्या		
	भैंस		
	गाय		
3	बाझंपन से मुक्त हुए पशुओं की संख्या		
	भैंस		
	गाय		
4	लाभार्थी पशुपालक		
	(अ) महिला		
	एस.सी.		
	एस.टी.		
	अन्य		
	कुल महिला लाभार्थी		
	(ब) पुरूष		
	एस.सी.		
	एस.टी.		
	अन्य		
	कुल पुरूष लाभार्थी		
	(स) कुल लाभार्थी		
5	किसान गोष्ठी में भाग लेने वाले पशुपालकों की संख्या		
	महिला पशुपालक		
	पुरूष पशुपालक		
6	बजट विवरण (राशि रूपये में)	आवंटन	व्यय

संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग.....